



2026:AHC:61469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2626 सन् 2026

कमल कपूर एवं 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राहुल अग्रवाल, सौम्येश दत्त त्रिपाठी, विकास कुमार पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 05/2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 108, 352, 351(3), थाना - मण्डुआडीह, जिला - वाराणसी में उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि आवेदकगण मृतक के भाई, भाभी तथा भाभी के भाई हैं। मृतक ने अपना जीवन समाप्त करने का अत्यंत दुःखद निर्णय लिया तथा सूचक द्वारा बी.एन.एस., 2023 की धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए धारा 103(1) बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत हत्या का झूठा मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक संख्या 1 एवं 2 और मृतक के बीच एक सबमर्सिबल पंप के उपयोग को लेकर विवाद था, जिसके लिए धारा 126/135 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पक्षकारों के बीच कार्यवाही भी प्रारंभ की गई थी तथा आवेदक संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1 एवं 2 को बंध-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि शव-परीक्षण रिपोर्ट में केवल एक फाँसी का निशान है तथा शरीर पर कोई अन्य दृश्य चोट नहीं है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदकों के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि आवेदक संख्या 1 एवं 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द हैं तथा आवेदक संख्या 3 का नाम जाँच के दौरान सामने आया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक मृतक को उत्पीड़ित किया करते थे, जिसके कारण मृतक ने पुलिस के समक्ष शिकायत की थी तथा आवेदकों के विरुद्ध धारा 126/135 बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और उन्हें बंध-पत्र दाखिल करने तथा शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि मृतक को उत्पीड़ित करने के आवेदकों के कृत्य स्पष्ट रूप से दुष्प्रेरण की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। मृतक की माता, जो आवेदक संख्या 1 की भी माता है, ने अपने कथन में इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतक और आवेदक संख्या 1 के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने, तथापि, इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि आवेदकों के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया है।

7. अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक संख्या 1 और मृतक, जो सगे भाई हैं, के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। मृतक की माता के कथन में यह उल्लेख है कि मृतक अपनी पत्नी के साथ भवन के निचले हिस्से में अपनी माता के साथ अलग रहता था तथा आवेदक संख्या 1 ऊपरी हिस्से में निवास करता था। मृतक की माता, जो मृत शरीर मिलने पर उपस्थित थी, के कथन में किसी दुष्प्रेरण का संकेत नहीं मिलता और केवल यह इंगित होता है कि भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के मत में, भाइयों के बीच विवाद को बी.एन.एस., 2023 की धारा 45 के अंतर्गत परिभाषित दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अभिलेख से प्रकट मामले की समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों का कोई ज्ञात आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदकगण - कमल कपूर, रंजना और कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी की दशा में, उसे तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की, संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक/संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक जब भी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, पूछताछ हेतु स्वयं उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा;

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अभिमत केवल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय हेतु है और प्रकरण के गुण-दोष पर मत नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 मार्च, 2026

सचिन